>

Title : Need to increase the minimum support prices of the agricultural produce.

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि हमारे देश की 70 प्रतिशत आबादी रोजी-रोटी के लिए खेती पर निर्भर है। किसान इस देश के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है, लेकिन आज किसान सरकारी नीतियों के कारण अपना पेट भूखा रखता है, उस भूखे पेट से घुटनों का सहारा लेकर वह अपने बच्चों को दो रोटी देने के लिए और अमीर-गरीब, सभी को खाना देने के लिए तैयार होता है।

20.00 hrs.

वह किसान चाहे आंध्र प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश का हो या विदर्भ इलाके का हो, किसान ही कहलाता है। अगर दस बीघा या 20 बीघा जमीन वाले किसान की इनकम सरकारी कर्मियों या अन्य कर्मचारियों से की जाए, तो बहुत कम बैठती है। उस समय सरकार का ध्यान मिनीमम सपोर्ट प्राइस पर नहीं जाता है। अगर ऐसे ही किसान की हालत रही तो वह खेती-बाड़ी छोड़ देगा और खत्म हो जाएगा। आज आप देखें कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के दाम कितने बढ़ गए हैं। इसलिए मिनीमम सपोर्ट प्राइस किसान के लिए बहुत जरूरी है। आज केवल गेहूं और धान के लिए ही मिनीमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया जाता है और वह भी दस या 20 रुपए प्रति क्विंटल होता है। जबकि डीजल के दाम सरकार एकमुश्त चार-पांच रुपए बढ़ा देती है और साल में करीब दस रुपए तक बढ़ा देती है, जिसका नतीजा यह है कि आज डीजल का दाम 40 रुपए के करीब हो गया है। इसी तरह आप देखें तो किसान के गेहूं और धान के लिए मिनीमम सपोर्ट प्राइस पिछले 20 बरस में पांच से सात रुपए ही बढ़ता रहा है। अधिकतम दस रुपए तक बढ़े हैं। जो गरीब लोगों के लिए और अन्य लोगों के लिए अनाज मुहैया कराता है, उस किसान के लिए आप केवल दो-तीन रुपए ही मिनीमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि करते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसान के गेहूं और धान के लिए 25 रुपए से लेकर 30 रुपए तक मिनीमम सपोर्ट प्राइस घोषित करना चाहिए। इसी तरह दूध के लिए भी मिनीमम सपोर्ट प्राइस घोषित करना चाहिए। हमारे नेता मुलायम सिंह जी ने भी इस बात का जिक्र किया था। मैं यह बात केन्द्र सरकार के ध्यान में लाना चाहती हूं कि आप मिनीमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि करके जो किसान इस पर निर्भर है, उसे बचाएं।